PBC No. 159 / 2026
RBE No. 87 / 2026

दक्षिण रेलवे Southern Railway
प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय
Office of the Principal Chief Personnel Officer
प्रधान कार्यालय, कार्मिक विभाग, चेन्नै-600003
Headquarters, Personnel Department, Chennai-600003

No: P(R) 410 / LL & IR / Vol.II दिनांक/Date: as signed

All PHODs/ DRMs/ CWMs/ CEWE/ CAO/ CPM/ PDA/ Dy.CPOs/ Sr.DPOs/ Secy to GM,
Chairman/RRB/MAS,TVC, Addl.Registrar/RCT/MAS,
Principal MDZTI/TPJ, SRCETC/TBM, ZETTC/AVD,
DPOs/SPOs/WPOs/APOs of HQ/Divisions /Workshops/Units.

विषय/Sub:Revision of rates of the Variable Dearness Allowance (VDA) for contract workers engaged in various employment / activities w.e.f. 01.10.2026.

A copy of the Railway Board's letter No. 2020/E(LL)/AT/MW/2 dated 23.10.2026 alongwith a copy of the orders issued by Labour Bureau / Ministry of Labour & Employment No. 6/1/2026-VDA dated 30.09.2026 on the above subject is enclosed for information, guidance and necessary action.

संलग्नक/Encl. 34 pages.

S JAYANTHI Digitally signed by S JAYANTHI Date: 2026.10.27 15:35:29 +05'30'

सहायक कर्मचारी संबंधी अधिकारी/Asst Personnel Officer / Welfare
कृते प्रमुकाधि/**For Principal Chief Personnel Officer**

प्रतिलिपि/Copy to: The General Secretary/SRMU
The General Secretary / DREU
The General Secretary/AISCTREA
The General Secretary/AIOBCREA
The General Secretary/NFIR
IT Section/PB/HQ - to upload in the SR website.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड /RAILWAY BOARD

RBE No. 84 /2026

No.2020/E(LL)/AT/MW/2 New Delhi, dated:28.10.2026

The General Managers,
All Zonal Railways and Production Units,
Metro Railway/Kolkata, CORE/Prayagraj,
The CAO (Construction), All Indian Railways,
The Director General, RDSO/Lucknow,
The DG/National Academy of Indian Railways, Vadodara,
The DGs/IRICEN, IRIEEN, IRISET, IRIMEE, IRITM,
The CAO, Rail Coach Factory / Raebareli,
The CAO, Rail Wheel Plant, Bela.

Sub: Revision of rates of the Variable Dearness Allowance (VDA) for contract workers engaged in various employment/activities w.e.f. 01.10.2026.

Labour Bureau/Ministry of Labour & Employment have issued orders No. 6/1/2026-VDA dated 30.09.2026 revising the rates of Variable Dearness Allowance for contract workers engaged in (i) Agriculture (ii) Gypsum Mines, Barytes Mines, Bauxite Mines, Manganese Mines, China Clay Mines, Kyanite Mines, Copper Mines, Clay Mines, Magnesite Mines, White Clay Mines, Stone Mines, Steatite Mines (including the mines producing Soap Stones and Talc), Ochre Mines, Asbestos Mines, Fire Clay Mines, Chromite Mines, Quartzite Mines, Quartz Mines, Silica Mines, Graphite Mines, Felspar Mines, Laterite Mines, Dolomite Mines, Red Oxide Mines, Wolfram Mines Iron Ore Mines, Granite Mines, Rock Phosphate Mines, Hematite Mines, Marble and Calcite Mines, Uranium Mines, Mica Mines, Lignite Mines, Gravel Mines, Slate Mines and Magnetite Mines (iii) Construction or Maintenance of Roads or runways or in Building Operations including Laying Down Underground electric, wireless, Radio, Television, Telephone, Telegraph and Overseas Communication Cables and Similar other Underground cabling work, Electric lines, Water supply lines and Sewerage Pipe Lines (iv) Stone Mines (v) Employment of sweeping and cleaning excluding activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 (vi) Watch and Ward (With arms and without arms) and (vii) Loading and unloading in (a) Goods sheds, parcel offices of Railways, (b) other Goods-sheds, go-downs, warehouses and other similar employments; (c) Docks and Ports; And (d) Passengers and Goods and Cargo Carried out at Airports (Both International and Domestic) (enclosed herewith) for

information and strict compliance. **The rates will be applicable w.e.f. 01.10.2026.**

2. Railways, being Principal Employer, are required to ensure that the contractors are complying with the provisions of the Labour codes strictly and arranging prescribed minimum wages to the contract labourers.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of Ministry of Railways.

Please acknowledge receipt.

(Peeyush Kapasi)
Director Estt (LL)
Railway Board
Tele No.011-23047249

No.2020/E(LL)/AT/MW/2 New Delhi dated: 23**.10.2026**

1. PFAs, All Zonal Railways and Production Units
2. Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhavan, New Delhi (10 spares).

23|10|2026

for Member Finance Railway Board

No.2020/E (LL)/AT/MW/2 New Delhi dated: 23**.10.2026**

1. The General Secretary, AIRF, NFIR (10 spares)
2. The Secretary General, IRPOF, FROA, AIRPFA (2 spares)
3. The General Secretary, AISC & ST Railway Employees Association.

23|10|26

for Principal Executive Director(I R)/Railway Board

Copy to: - JS, EDCE(G), EDCE(P), D(FM), DTC(R), DS (G), D/EnHM, DDF(E)I, F(E) I, E(NG)II, CE-I, TG-IV, Fuel, E (Rep) II and Stationery Branch, Railway Board.

भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

आरबीई सं. 87/2026

सं. 2020/ई(एलएल)/एटी/एमडब्ल्यू/2 नई दिल्ली, दिनांक: 28.10.2026

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां,
मेट्रो रेल कोलकाता, रेल विद्युतीकरण/प्रयागराज,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), सभी क्षेत्रीय रेलें,
महानिदेशक, आरडीएसओ/लखनऊ,
महानिदेशक/भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा,
महानिदेशक/इरीसेन, इरीन, इरिसेट, इरिमी, इरिटिम,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रेल डिब्बा कारखाना/रायबरेली,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ रेल पहिया संयंत्र/बेला

विषय: **01.10.2026 से विभिन्न रोजगार/गतिविधियों में नियुक्त संविदागत श्रमिकों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) की दरों में संशोधन।**

कृपया श्रम ब्यूरो/श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 30.09.2026 को जारी आदेश संख्या 6/1/2026-VDA के अंतर्गत जारी आदेशों के तहत (i) कृषि (ii) जिप्सम खानों, बैराइट खानों, बॉक्साइट खानों, मैंगनीज खानों, चाइना क्ले खानों, क्यानाइट खानों, कॉपर खानों, क्ले खानों, मैग्नेसाइट खानों, सफेद मिट्टी की खानों, पत्थर की खानों, स्टेटाइट खानों (जिनमें साबुन पत्थर और टैल्क उत्पादक खान शामिल हैं), ओक्रे खानों, एस्बेस्टस खानों, फायर क्ले खानों, क्रोमाइट खानों, क्वार्ट्जाइट खानों, क्वार्ट्ज खानों, सिलिका खानों, ग्रेफाइट खानों, फेल्सपार खानों, लेटराइट खानों, डोलोमाइट खानों, रेड ऑक्साइड खानों, वोल्फ्राम खानों, लोह अयस्क खानों, ग्रेनाइट खानों, रॉक फॉस्फेट खानों, हीमैटाइट खानों, संगमरमर और कैल्साइट खानों, यूरेनियम खानों, अभ्रक खानों, लिग्नाइट खानों, ग्रेवेल खानों, स्लेट खानों और मैग्नेटाइट खानों (iii) सड़कों या रनवे या भवन संचालन निर्माण या रखरखाव, जिनमें भूमिगत इलेक्ट्रिक, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ और समुद्रपार संचार केबलों और इसी प्रकार के अन्य भूमिगत केबलिंग कार्य, इलेक्ट्रिक लाइनों, जल आपूर्ति लाइनों और सीवरेज पाइप लाइन बिछाने (iv) पत्थर की खानों (v) सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय (प्रतिषेध) अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रतिबंधित क्रियाकलापों को छोड़कर सफाई और स्वच्छता में नियोजन (vi) वाच एंड वार्ड (हथियार सहित और हथियार रहित) और (vii) लदान और उतराई (क) रेलवे के गुड्स शेड, पार्सल कार्यालय, (ख) अन्य गुड्स शेड, गो-डाउन, गोदामों, मालगोदामों और अन्य समान रोजगार; (ग) डॉक एवं बंदरगाह; और (घ) एयरपोर्ट पर (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों) यात्रिओं और माल और कार्गो का परिवहन में नियुक्त संविदागत श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरों को संशोधित किया गया है और आपकी सूचना और कड़ाई से अनुपालन के लिए संलग्न हैं। **ये दरें 01.10.2026 से प्रभावी होंगी।**

2. रेलें, प्रधान नियोक्ता होने के नाते, यह सुनिश्चित करें कि ठेकेदार, श्रम संहिताओं (Labour Codes) के उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन कर रहे हैं और संविदागत श्रमिकों को

निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के भुगतान की व्यवस्था कर रहे हैं।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।

(पीयूष कपासी)
निदेशक स्थापना (श्रम कानून)/रेलवे बोर्ड
दूरभाष सं. 011-23047249

सं. 2020/ई(एलएल)/एटी/एमडब्ल्यू/2 नई दिल्ली, दिनांक:23.10.2026

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां
2. भारत के उपनियंत्रक और महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियां)

23/10/2026
कृते सदस्य वित्त रेलवे बोर्ड

सं. 2020/ई(एलएल)/एटी/एमडब्ल्यू/2 नई दिल्ली, दिनांक:23.10.2026

1. जनरल सेक्रटरी, एआईआरएफ, एनएफआईआर (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. सेक्रटरी जनरल, आईआरपीओएफ, एफआरओए, एआईआरपीएफए (2 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. जनरल सेक्रटरी, ऑल इंडिया एससी एवं एसटी रेलवे एम्प्लाइज एसोसिएशन।

23/10/2026
कृते प्रधान कार्यकारी निदेशक (औद्योगिक संबंध) /रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित: संयुक्त सचिव, कार्यपालक निदेशक सिविल इंजीनियरी (जी), कार्यपालक निदेशक सिविल इंजीनियरी (पी), निदेशक (एफएम), निदेशक यातायात वाणिज्य (दर), उप सचिव (सामान्य), निदेशक/ईएनएचएम, उपनिदेशक वित्त(ई)II, एफ(ई)I, स्था.(एनजी)-II, सिविल इंजीनियरी-I, टीजी- IV, फ्यूल, ई (रिप) II और लेखन-सामग्री शाखा रेलवे बोर्ड।

File No. 6/1/2026-VDA
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Labour Bureau
Chandigarh

Dated: 30 September, 2026

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 2451(E) dated 12th May, 2026 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revises the rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in **Agriculture** w.e.f. 01.10.2026 on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial Workers reaching 431.42 from 424.80 as on 30.06.2026 (linked to Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 6.62 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2026: -

Category of worker	Rates of V.D.A. Area wise per day (in Rupees)		
	'A'	'B'	'C'
Unskilled	204	188	186
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	223	204	189
Skilled/Clerical	242	223	204
Highly Skilled	267	248	223

Therefore, the minimum rates of wages including the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.10.2026 to the employees working in Agriculture shall be as under:-

Category of worker	Rates of wages including V.D.A. Area wise per day (in Rupees)		
	A	B	C
Unskilled	333 + 204 = 537	303 + 188 = 491	300 + 186 = 486
Semi- Skilled/Unskilled Supervisory	364 + 223 = 587	335 + 204 = 539	307 + 189 = 496
Skilled/Clerical	395 + 242 = 637	364 + 223 = 587	334 + 204 = 538
Highly Skilled	438 + 267 = 705	407 + 248 = 655	364 + 223 = 587

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part I of the Notification No. S.O. 186(E) dated 19th January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

The instant notification is being issued in pursuance of sub-section (2) of Section 69 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019).

(Shyam Singh Negi)
Director General
Labour Bureau

File No. 6/1/2026-VDA
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Labour Bureau
Chandigarh

Dated: 30 September, 2026

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 2451(E) dated 12th May, 2026 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revises the rates of Variable Dearness Allowance w.e.f. 01.10.2026 on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial Workers reaching 431.42 from 424.80 as on 30.06.2026 (linked to Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 6.62 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2026

The rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in employments in **Gypsum Mines, Barytes Mines, Bauxite Mines, Manganese Mines, China Clay Mines, Kyanite Mines, Copper Mines, Clay Mines, Magnesite Mines, White Clay Mines, Stone Mines, Steatite Mines (including the mines producing Soap Stones and Talc), Ochre Mines, Asbestos Mines, Fire Clay Mines, Chromite Mines, Quartzite Mines, Quartz Mines, Silica Mines, Graphite Mines, Felspar Mines, Laterite Mines, Dolomite Mines, Red Oxide Mines, Wolfram Mines Iron Ore Mines, Granite Mines, Rock Phosphate Mines, Hematite Mines, Marble and Calcite Mines, Uranium Mines, Mica Mines, Lignite Mines, Gravel Mines, Slate Mines and Magnetite Mines.**

Category of worker	Rates of V.D.A. (in Rs.) per day	
	For work above ground	For work below ground
Unskilled	215	267
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	267	317
Skilled/ Clerical	317	369
Highly Skilled	369	412

Therefore the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance Payable w.e.f. 01.10.2026 will be as under:-

Category of worker	Rates of wages including V.D.A. (in Rs.) per day	
	For work above ground	For work below ground
Unskilled	350 + 215 = 565	437 + 267 = 704
Semi-Skilled/ Unskilled Supervisory	437 + 267 = 704	523 + 317 = 840
Skilled/ Clerical	523 + 317 = 840	610 + 369 = 979
Highly Skilled	610 + 369 = 979	683 + 412 = 1095

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Notification No. S.O. 187(E) dated 19.01.2017 and subsequent amendment notification No. S.O. 2413(E) dated 28th July, 2017 of the Ministry of Labour and Employment; whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

The instant notification is being issued in pursuance of sub-section (2) of Section 69 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019).

(Shyam Singh Negi)
Director General
Labour Bureau

File No. 6/1/2026-VDA
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Labour Bureau
Chandigarh

Dated: 30 September, 2026

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 2451(E) dated 12th May, 2026 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revises the rates of Variable Dearness Allowance w.e.f. 01.10.2026 on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 431.42 from 424.80 as on 30.06.2026 (linked to Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 6.62 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2026

The rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in **Construction Or Maintenance Of Roads Or Runways Or In Building Operations Including Laying Down Underground Electric, Wireless, Radio, Television, Telephone, Telegraph And Overseas Communication Cables And Similar Other Underground Cabling Work, Electric Lines, Water Supply Lines And Sewerage Pipe Lines.**

Category of worker	Rates of V.D.A. Area wise per day (in Rupees)		
	A	B	C
Unskilled	317	267	215
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	354	300	251
Skilled/Clerical	387	354	300
Highly Skilled	418	387	354

Therefore the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.10.2026 will be as under :-

Category of worker	Rates of wages including V.D.A. (in Rupees)		
	A Area	B Area	C Area
Unskilled	523 + 317 = 840	437 + 267 = 704	350 + 215 = 565
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	579 + 354 = 933	494 + 300 = 794	410 + 251 = 661
Skilled/ Clerical	637 + 387 = 1024	579 + 354 = 933	494 + 300 = 794
Highly Skilled	693 + 418 = 1111	637 + 387 = 1024	579 + 354 = 933

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the Notification No. S.O. 188(E) dated 19th January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

The instant notification is being issued in pursuance of sub-section (2) of Section 69 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019).

(Shyam Singh Negi)
Director General
Labour Bureau

File No. 6/1/2026-VDA
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Labour Bureau
Chandigarh

Dated: 30 September, 2026

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 2451(E) dated 12th May, 2026 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revises the rates of Variable Dearness Allowance w.e.f. 01.10.2026 on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial Workers reaching 431.42 from 424.80 as on 30.06.2026 (linked to Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 6.62 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2026

The rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in **"STONE MINES"** shall be as under:-

Item of work	**Rates of Variable Dearness Allowance as on 01.10.2026**
1. Excavation & removal of over burden with 50 meters lead/ 1.5 meters lift. *	
(i) Soft Soil	218
(ii) Soft Soil with rock	323
(iii) Rock	428
2. Removal and stacking of rejected stones with 50 metres lead/ 1.5 Metres lift. *	174
3. Stone breaking or Stone Crushing for the Stone size of:-	
1.0 inch to 1.5 inches	1297
Above 1.5 inches to 3.0 inches	1109
Above 3.0 inches to 5.0 inches	654
Above 5.0 inches	539

Therefore, the minimum piece rate wages showing the basic and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.10.2026 to the employees employed in Stone Mines shall be as under:-

Category	Basic wages		VDA		Total
1. Excavation & removal of overburden with 50 meters Lead/1.5 Meters lift. *					
(i) Soft Soil	351	+	218	=	569
(ii) Soft Soil with rock	531	+	323	=	854
(iii) Rock	703	+	428	=	1131
2. Removal and stacking of rejected stones with 50 meters lead/ 1.5 meters lift. *	283	+	174	=	457
3. Stone Breaking or Stone Crushing for stone size of category **					
	Basic Wages		**VDA**		**Total**
(i) 1.0 inch to 1.5 inches	2171	+	1297	=	3468
(ii) Above 1.5 inches to 3.0 inches	1857	+	1109	=	2966
(iii) Above 3.0 inches to 5.0 inches	1088	+	654	=	1742
(iv) Above 5.0 inches	893	+	539	=	1432

The workers employed on minimum guaranteed time rate of wages per day shall be entitled to time rate of minimum wages plus special allowance, if any, for unskilled category of above ground workers revised from time to time by the Central Government in respect of scheduled employment in stone mines.

* Per 2.831 cube meters (100 cubic feet)

** Per truck load of 5.662 cubic meters (200 cubic feet)

The detailed classification and explanation are as per Notification No. S.O. 189(E) dated 19th January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment .

The instant notification is being issued in pursuance of sub-section (2) of Section 69 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019).

(Shyam Singh Negi)
Director General
Labour Bureau

File No. 6/1/2026-VDA
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Labour Bureau
Chandigarh

Dated:30 September, 2026

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 2451(E) dated 12th May, 2026 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revises the rates of Variable Dearness Allowance w.e.f. 01.10.2026 on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial Workers reaching 431.42 from 424.80 as on 30.06.2026 (linked to Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 6.62 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2026

The rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in **"Employment of Sweeping and Cleaning excluding activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993".**

AREA	RATES OF V.D.A. PER DAY (in Rs.)
A	317
B	267
C	215

Therefore, the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f 01.10.2026 shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS V.D.A PER DAY				
	Basic Wages (Rs.)		V.D.A (Rs.)		Total (Rs.)
A	523	+	317	=	840
B	437	+	267	=	704
C	350	+	215	=	565

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the Notification No. S.O. 190(E) dated **19th January, 2017** of the Ministry of Labour and Employment, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification

dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

The instant notification is being issued in pursuance of sub-section (2) of Section 69 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019).

(Shyam Singh Negi)
Director General
Labour Bureau

File No. 6/1/2026-VDA
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Labour Bureau
Chandigarh

Dated: 30 September,2026

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 2451(E) dated 12th May, 2026 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revises the rates of Variable Dearness Allowance w.e.f. 01.10.2026 on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial Workers reaching 431.42 from 424.80 as on 30.06.2026 (linked to Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 6.62 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2026

I. The rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in **WATCH & WARD (without arms)** shall be as under:-

AREA	RATES OF V.D.A. PER DAY (in Rs.)
A	387
B	354
C	300

Therefore, the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f 01.10.2026to employees employed in WATCH AND WARD (without arms) shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS V.D.A PER DAY				
	Basic Wages (Rs.)		V.D.A. (Rs.)		Total (Rs.)
A	637	+	387	=	1024
B	579	+	354	=	933
C	494	+	300	=	794

II. The rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in **WATCH AND WARD (with arms)** shall be as under:-

AREA	RATES OF VDA PER DAY (in Rs.)
A	418
B	387
C	354

Therefore, the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f 01.10.2026 to employees employed in WATCH AND WARD (with arms) shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS VDA PER DAY				
	Basic Wages (Rs.)		VDA. (Rs.)		Total (Rs.)
A	693	+	418	=	1111
B	637	+	387	=	1024
C	579	+	354	=	933

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the Notification No. S.O. 191(E) dated 19th January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

The instant notification is being issued in pursuance of sub-section (2) of Section 69 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019).

(Shyam Singh Negi)
Director General
Labour Bureau

File No. 6/1/2026-VDA
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Labour Bureau
Chandigarh

Dated: 30 September, 2026

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 2451(E) dated 12th May, 2026 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revises the rates of Variable Dearness Allowance w.e.f. 01.10.2026 on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial Workers reaching 431.42 from 424.80 as on 30.06.2026 (linked to Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 6.62 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2026

The rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in loading and unloading in **(i) Goods sheds, Parcel Offices of Railways, (ii) Other Goods-Sheds, Go-downs, Warehouses and other similar employments ; (iii) Docks and Ports; and (iv) Passengers and Goods and Cargo Carried out at Airports (both international and domestic).**

AREA	RATES OF V.D.A. PER DAY (IN RS.)
'A'	317
'B'	267
'C'	215

Therefore, the minimum rates of wages including the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.10.2026 shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS V.D.A. PER DAY				
	Basic Wages (Rs.)		V.D.A. (Rs.)		Total (Rs.)
'A'	523	+	317	=	840
'B'	437	+	267	=	704
'C'	350	+	215	=	565

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the Notification No. S.O. 192(E) dated 19th January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification

dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

The instant notification is being issued in pursuance of sub-section (2) of Section 69 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019).

(Shyam Singh Negi)
Director General
Labour Bureau

ANNEXURE

CLASSIFICATION OF AREAS

AREA – "A"					
Ahmedabad	(UA)	Hyderabad	(UA)	Faridabad complex	(M.Corpn)
Bangaluru	(UA)	Kanpur	(UA)	Ghaziabad	(UA)
Delhi	(UA)	Chennai	(UA)	Noida	
Greater Mumbai	(UA)	Nagpur	(UA)	Secunderabad	
Kolkata	(UA)	Lucknow	(UA)	Gurgaon	(M. Corpn)
Navi Mumbai	(UA)	Pune	(UA)		
AREA – "B"					
Agra	(UA)	Gwalior	(UA)	Port Blair	(UA)
Ajmer	(UA)	Hubli-Dharwad	(M. Corpn)	Puducherry	(UA)
Aligarh	(UA)	Indore	(UA)	Raipur	(UA)
Allahabad	(UA)	Jabalpur	(UA)	Raurkela	(UA)
Amravati	(M.Corpn)	Jaipur	(M.Corpn)	Rajkot	(UA)
Amritsar	(UA)	Jalandhar	(UA)	Ranchi	(UA)
Asansol	(UA)	Jalandhar-Cantt.	(UA)	Saharanpur	(M.Corpn)
Aurangabad	(UA)	Jammu	(UA)	Salem	(UA)
Bareilly	(UA)	Jamnagar	(UA)	Sangli	(UA)
Belgaum	(UA)	Jamshedpur	(UA)	Shillong	
Bhavnagar	(UA)	Jhansi	(UA)	Siliguri	(UA)
Bhiwandi	(UA)	Jodhpur	(UA)	Solapur	(M.Corpn)
Bhopal	(UA)	Kannur	(UA)	Srinagar	(UA)
Bhubaneshwar	(UA)	Kochi	(UA)	Surat	(UA)
Bikaner	(M.Corpn)	Kolhapur	(UA)	Thiruvanantapuram	(UA)
Bokaro Steel City	(UA)	Kollam	(UA)	Thrissur	(UA)
Chandigarh	(UA)	Kota	(M.Corpn)	Tiruchirappalli	(UA)
Coimbatore	(UA)	Kozhikode	(UA)	Tiruppur	(UA)
Cuttack	(UA)	Ludhiana	(M.Corpn)	Ujjain	(M.Corpn)
Dehradun	(UA)	Madurai	(UA)	Vadodara	(UA)
Dhanbad	(UA)	Malappuram	(UA)	Varanasi	(UA)
Durgapur	(UA)	Malegaon	(UA)	Vasai- Virar City	(M.Corpn)
Durg-Bhilai Nagar	(UA)	Mangalore	(UA)	Vijayawada	(UA)
Erode	(UA)	Meerut	(UA)	Vishakhapatnam	(M.Corpn)
Firozabad		Moradabad	(M. Corpn)	Warangal	(UA)
Goa		Mysore	(UA)		
Gorakhpur	(UA)	NandedWaghala	(M. Corpn)		
Greater Visakhapatnam	(M.Corpn)	Nasik	(UA)		
Gulbarga	(UA)	Nellore	(UA)		
Guntur	(UA)	Panchkula	(UA)		
Guwahati	(UA)	Patna	(UA)		

Note 1.-Area 'C' shall comprise all areas not mentioned in this list but to which the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) extends.

Note 2.- U.A. means Urban Agglomeration.

फाइल संख्या: 6/1/2026-VDA

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम ब्यूरो

चंडीगढ़

दिनांक: 30 सितम्बर,2026

<u>आदेश</u>

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 12 मई, 2026 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 2451(ई) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के दिनांक 30.06.2026 (सम्बद्ध आधार वर्ष 2016=100) को 424.80 से 431.42 पर पहुँचने और इसके परिणामस्वरूप इसमें 6.62 अंकों की बढ़त होने के आधार पर एतद्द्वारा दिनांक 01.10.2026 से कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरों में परिशोधन किया जाता है। दिनांक 01.10.2026 से परिशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें इस प्रकार होंगी:-

कामगारों की श्रेणी	दैनिक क्षेत्रवार वी. डी. ए. की दरें (रुपये में)		
	'क'	'ख'	'ग'
अकुशल	204	188	186
अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	223	204	189
कुशल/ लिपिकीय	242	223	204
अति कुशल	267	248	223

अतः कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.10.2026 से देय मूल दर सहित भत्ते की न्यूनतम दर और परिवर्ती महंगाई भत्ता इस प्रकार होंगे:-

कामगारों की श्रेणी	वी .डी.ए.सहित मजदूरी की दरें क्षेत्रवार प्रतिदिन (रुपये में)		
	'क'	'ख'	'ग'
अकुशल	333 + 204 = 537	303 + 188 = 491	300 + 186 = 486
अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	364 + 223 = 587	335 + 204 = 539	307 + 189 = 496
कुशल/ लिपिकीय	395 + 242 = 637	364 + 223 = 587	334 + 204 = 538
अति कुशल	438 + 267 = 705	407 + 248 = 655	364 + 223 = 587

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय अनुसार वी.डी.ए. को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

विभिन्न वर्गों के तहत कर्मकारों का वर्गीकरण अधिसूचना संख्या एस. ओ. 186(ई) दिनांकित 19 जनवरी, 2017 के भाग-I में दिए अनुसार होगा, तथापि शहरों का वर्गीकरण दिनांक 19 जनवरी, 2017 को अधिसूचना के भाग-II में दिए अनुसार होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्र क, ख तथा ग के रूप में सुलभ संदर्भ हेतु अनुलग्नक-1 संलग्न है।

यह तत्काल अधिसूचना मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 69 की उपधारा (2) के अनुसरण में जारी की जा रही है ।

(श्याम सिंह नेगी)
महानिदेशक
श्रम ब्यूरो

फाइल संख्या: 6/1/2026-VDA

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम ब्यूरो

चंडीगढ़

दिनांक: 30 सितम्बर,2026

आदेश

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 12 मई, 2026 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 2451(ई) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के दिनांक 30.06.2026 (सम्बद्ध आधार वर्ष 2016=100) को 424.80 से 431.42 पर पहुँचने और इसके परिणामस्वरूप इसमें 6.62 अंकों की बढ़त होने के आधार पर एतद्द्वारा दिनांक 01.10.2026 से औद्योगिक कर्मकारों के लिए परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरों में परिशोधन किया जाता है। दिनांक 01.10.2026 से परिशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें इस प्रकार होंगी।

जिप्सम खान, बैराइट खान, बॉक्साइट खान, मैंगनीज खान, चाइना क्ले खान, कायनाइट खान, तांबा खान, क्ले खान, मैग्नेसाइट खान, सफेद मिट्टी खान, पत्थर खान, स्टीटाइट खान (सोप स्टोन और टैल्क का उत्पादन करने वाली खानों सहित), गेरू खान, एस्बेस्टस खान, आग मिट्टी की खान, क्रोमाइट खान, क्वार्टजाइट खान, क्वार्ट्ज़ खान, सिलिका खान, ग्रेफाइट खान, फेलस्पार खान, लैटेराइट खान, डोलोमाइट खान, रेड ऑक्साइड खान, वोल्फराम खान, लौह अयस्क खान, ग्रेनाइट खान, रॉक फॉस्फेट खान, हेमेटाइट खान, संगमरमर और कैल्साइट खान, यूरेनियम खान, अभ्रक खान, लिग्नाइट खान, बजरी ब्लूज़, स्लेट खान और मैग्नेटाइट खान में कार्यरत कर्मचारियों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दरें:

कामगारों की श्रेणी	क्षेत्रवार प्रतिदिन वी.डी.ए. की दरें (रुपयों में)	
	भूमि से ऊपर कार्य के लिए	भूमि से नीचे कार्य के लिए
अकुशल	215	267
अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	267	317
कुशल/ तिपिकीय	317	369
अति कुशल	369	412

अतः दिनांक 01.10.2026 से देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते को दर्शाती न्यूनतम मजदूरी की दरें निम्नानुसार होंगी:-

कामगारों की श्रेणी	क्षेत्रवार प्रतिदिन वी.डी.ए.सहित मजदूरी की दरें (रुपयों में)	
	भूमि से ऊपर कार्य के लिए	भूमि से नीचे कार्य के लिए
अकुशल	350 + 215 = 565	437 + 267 = 704
अर्ध-कुशल/ अकुशल पर्यवेक्षी	437 + 267 = 704	523 + 317 = 840
कुशल/लिपिकीय	523 + 317 = 840	610 + 369 = 979
अति कुशल	610 + 369 = 979	683 + 412 = 1095

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय अनुसार वी.डी.ए. को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

विभिन्न वर्गों के तहत कर्मकारों का वर्गीकरण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 187(ई) दिनांकित 19 जनवरी, 2017 तथा उत्तरवर्ती संशोधन **अधिसूचना संख्या का.आ. 2413(अ) दिनांक 28 जुलाई, 2017** में दिए अनुसार होगा, तथापि शहरों का वर्गीकरण दिनांक 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचना के भाग-II में दिए अनुसार होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्र क, ख.तथा ग के रूप में सुलभ संदर्भ हेतु अनुलग्नक-1 संलग्न है।

यह तत्काल अधिसूचना मजदूरी संहिता, 2019 (29 ऑफ 2019) की धारा 69 की उपधारा (2) के अनुसरण में जारी की जा रही है ।

(श्याम सिंह नेगी)
महानिदेशक
श्रम ब्यूरो

फाइल संख्या: 6/1/2026-VDA

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम ब्यूरो

चंडीगढ़

दिनांक:30 सितम्बर,2026

आदेश

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 12 मई, 2026 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 2451(ई) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के दिनांक 30.06.2026 (सम्बद्ध आधार वर्ष 2016=100) को 424.80 से 431.42 पर पहुँचने और इसके परिणामस्वरूप इसमें 6.62 अंकों की बढ़त होने के आधार पर एतद्द्वारा दिनांक 01.10.2026 से औद्योगिक कर्मकारों के लिए परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरों में परिशोधन किया जाता है। दिनांक 01.10.2026 से परिशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें इस प्रकार होंगी।

सड़कों या रनवे के निर्माण या रखरखाव या भूमिगत बिजली, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विदेशी संचार केबल और इसी तरह के अन्य भूमिगत केबलिंग कार्य, बिजली लाइनों, जल आपूर्ति लाइनों और सीवरेज पाइप लाइनों सहित भवन निर्माण कार्यों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दरें।

कामगारों की श्रेणी	क्षेत्रवार प्रतिदिन वी.डी.ए की दरें (रुपये में)		
	'क'	'ख'	'ग'
अकुशल	317	267	215
अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	354	300	251
कुशल/ लिपिकीय	387	354	300
अति कुशल	418	387	354

अतः, दिनांक 01.10.2026 से देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते को दर्शाती न्यूनतम मजदूरी की दरें निम्नानुसार होंगी:-

कामगारों की श्रेणी	प्रतिदिन वी.डी.ए सहित मजदूरी की दरें (रुपये में)		
	'क' क्षेत्र	'ख' क्षेत्र	'ग' क्षेत्र
अकुशल	523 + 317 = 840	437 + 267 = 704	350 + 215 = 565
अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	579 + 354 = 933	494 + 300 = 794	410 + 251 = 661
कुशल/ लिपिकीय	637 + 387 = 1024	579 + 354 = 933	494 + 300 = 794
अति कुशल	693 + 418 = 1111	637 + 387 = 1024	579 + 354 = 933

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय अनुसार वी.डी.ए. को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाता है।

विभिन्न वर्गों के तहत कर्मकारों का वर्गीकरण अधिसूचना संख्या एस. ओ. 188 (ई) दिनांकित 19 जनवरी, 2017 के भाग-I में दिए अनुसार होगा, तथापि शहरों का वर्गीकरण दिनांक 19 जनवरी, 2017 को अधिसूचना के भाग-II में दिए अनुसार होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्र क, ख तथा ग के रूप में सुलभ संदर्भ हेतु अनुलग्नक-1 संलग्न है।

यह तत्काल अधिसूचना मजदूरी संहिता, 2019 (29 ऑफ 2019) की धारा 69 की उपधारा (2) के अनुसरण में जारी की जा रही है।

(श्याम सिंह नेगी)
महानिदेशक
श्रम ब्यूरो

फाइल संख्या: 6/1/2026-VDA

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम ब्यूरो

चंडीगढ़

दिनांक: 30 सितम्बर,2026

आदेश

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 12 मई, 2026 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 2451(ई) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के दिनांक 30.06.2026 (सम्बद्ध आधार वर्ष 2016=100) को 424.80 से 431.42 पर पहुँचने और इसके परिणामस्वरूप इसमें 6.62 अंकों की बढ़त होने के आधार पर एतद्द्वारा दिनांक 01.10.2026 से औद्योगिक कर्मकारों के लिए परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरों में परिशोधन किया जाता है। दिनांक 01.10.2026 से परिशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें इस प्रकार होंगी।

"पत्थर खानों" में कार्यरत कर्मचारियों हेतु वी.डी.ए. की दरें निम्नानुसार हैं:-

कार्य विवरण	दिनांक 01.10.2026 से परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें
1. 50 मीटर लेड/1.5 मीटर लिफ्ट के साथ अतिरिक्त भार की खुदाई व निष्कासन"	
(i) नर्म मिट्टी	रु. 218
(ii) चट्टान सहित नर्म मिट्टी	रु. 323
(iii) चट्टान	रु. 428
2. 50 मीटर लेड/1.5 मीटर लिफ्ट के साथ अस्वीकृत पत्थरों का निष्कासन व ढेर लगाना	रु. 174
3. निम्नलिखित आकार के पत्थर हेतु पत्थर तोड़ना या पत्थर पेराई:-	
1.0 इंच से 1.5 इंच तक	रु. 1297
1.5 इंच के ऊपर से 3.0 इंच तक	रु. 1109
3.0 इंच के ऊपर से 5.0 इंच तक	रु. 654
5.0 इंच के ऊपर	रु. 539

अतः दिनांक 01.10.2026 से देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते को दर्शाती न्यूनतम मजदूरी की दरें पत्थर खानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार होंगी:-

श्रेणी	मूल मजदूरी	वीडीए	कुल
1. 50 मीटर लेड/1.5 मीटर लिफ्ट के साथ			
अतिरिक्त भार की खुदाई व निष्कासन			
(i) नर्म मिट्टी	रु. 351 +	रु. 218 =	रु. 569
(ii) चट्टान सहित नर्म मिट्टी	रु. 531 +	रु. 323 =	रु. 854
(iii) चट्टान	रु. 703 +	रु. 428 =	रु. 1131
2. 50 मीटर लेड/1.5 मीटर लिफ्ट के साथ अस्वीकृत पत्थरों का निष्कासन व ढेर लगाना	रु. 283 +	रु. 174 =	रु. 457

3. निम्नलिखित आकार के पत्थर हेतु पत्थर तोड़ना या पत्थर पेराई:-	मूल मजदूरी	वीडीए	कुल
(i) 1.0 इंच से 1.5 इंच तक	रु. 2171 +	रु. 1297 =	रु. 3468
(ii) 1.5 इंच के ऊपर से 3.0 इंच तक	रु. 1857 +	रु. 1109 =	रु. 2966
(iii) 3.0 इंच के ऊपर से 5.0 इंच तक	रु. 1088 +	रु. 654 =	रु. 1742
(iv) 5.0 इंच के ऊपर	रु. 893 +	रु. 539 =	रु. 1432

दैनिक मजदूरी की न्यूनतम गारंटीकृत समय दर पर कार्यरत कामगार पत्थर खानों में अनुसूचित नियोजन के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर सतह के ऊपर काम करने वाले कामगारों के अकुशल वर्ग हेतु विशिष्ट भत्ते, यदि कोई है तो, के साथ न्यूनतम मजदूरी के समय दर के हकदार होंगे।

* प्रति 2.831 घन मीटर (100 घन फीट)
** 5.662 घन मीटर प्रति ट्रक भार (200 घन फीट)

विस्तृत वर्गीकरण और स्पष्टीकरण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 189(ई) दिनांक 19 जनवरी, 2017 के अनुसार हैं।

यह तत्काल अधिसूचना मजदूरी संहिता, 2019 (29 ऑफ 2019) की धारा 69 की उपधारा (2) के अनुसरण में जारी की जा रही है।

(श्याम सिंह नेगी)
महानिदेशक
श्रम ब्यूरो

फाइल संख्या: 6/1/2026-VDA

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम ब्यूरो

चंडीगढ़

दिनांक: 30 सितम्बर,2026

आदेश

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 12 मई, 2026 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 2451(ई) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के दिनांक 30.06.2026 (सम्बद्ध आधार वर्ष 2016=100) को 424.80 से 431.42 पर पहुँचने और इसके परिणामस्वरूप इसमें 6.62 अंकों की बढ़त होने के आधार पर एतद्द्वारा दिनांक 01.10.2026 से औद्योगिक कर्मकारों के लिए परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरों में परिशोधन किया जाता है। दिनांक 01.10.2026 से परिशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें इस प्रकार होंगी।

सफाई कर्मधारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अंतर्गत निषेध क्रियाकलापों के अलावा झाड़ू लगाने और सफाई करने के नियोजन में कार्यरत कर्मचारियों हेतु वी.डी.ए. की दरें

क्षेत्र	दैनिक वी.डी.ए. की दरें (रुपयों में)
क	317
ख	267
ग	215

दिनांक 01.10.2026 से देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते को दर्शाती न्यूनतम मजदूरी की दरें निम्नानुसार होंगी:-

क्षेत्र	दैनिक आधार पर मजदूरी दर+ वी.डी.ए.				
	मूल मजदूरी (रुपयों में)		वी.डी.ए. (रुपयों में)		कुल (रुपयों में)
क	523	+	317	=	840
ख	437	+	267	=	704
ग	350	+	215	=	565

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय के अनुसार वी.डी.ए. को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

विभिन्न वर्गों के तहत कर्मकारों का वर्गीकरण अधिसूचना संख्या एस. ओ. 190(ई) दिनांकित 19 जनवरी, 2017 के भाग-I में दिए अनुसार होगा, तथापि शहरों का वर्गीकरण दिनांक 19 जनवरी,

2017 को अधिसूचना के भाग-II में दिए अनुसार होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्र क, ख तथा ग के रूप में सुलभ संदर्भ हेतु अनुलग्नक-1 संलग्न है।

यह तत्काल अधिसूचना मजदूरी संहिता, 2019 (29 ऑफ 2019) की धारा 69 की उपधारा (2) के अनुसरण में जारी की जा रही है।

(श्याम सिंह नेगी)
महानिदेशक
श्रम ब्यूरो

फाइल संख्या: 6/1/2026-VDA

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम ब्यूरो

चंडीगढ़

दिनांक: 30 सितम्बर,2026

आदेश

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 12 मई, 2026 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 2451(ई) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के दिनांक 30.06.2026 (सम्बद्ध आधार वर्ष 2016=100) को 424.80 से 431.42 पर पहुँचने और इसके परिणामस्वरूप इसमें 6.62 अंकों की बढ़त होने के आधार पर एतद्द्वारा दिनांक 01.10.2026 से औद्योगिक कर्मकारों के लिए परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरों में परिशोधन किया जाता है। दिनांक 01.10.2026 से परिशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें इस प्रकार होंगी।

I. वीडीए की दरें, वॉच एण्ड वार्ड (बिना हथियार के) में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार होंगी:-

क्षेत्र	दैनिक वी.डी.ए. की दरें (रुपयों में)
क	387
ख	354
ग	300

अतः दिनांक 01.10.2026 से देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते को दर्शाती न्यूनतम मजदूरी की दरें वॉच एण्ड वार्ड (बिना हथियार के) में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार होंगी:-

क्षेत्र	दैनिक आधार पर मजदूरी दर+ वी.डी.ए.				
	मूल मजदूरी		वी.डी.ए(रुपयों में).		कुल (रुपयों में)
क	637	+	387	=	1024
ख	579	+	354	=	933
ग	494	+	300	=	794

II. वीडीए की दरें, वॉच एण्ड वार्ड (हथियार के साथ) में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार होंगी:-

क्षेत्र	दैनिक वी.डी.ए. की दरें (रुपयों में)
क	418
ख	387
ग	354

अतः दिनांक 01.10.2026 से देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते को दर्शाती न्यूनतम मजदूरी की दरें वॉच एण्ड वार्ड (हथियार के साथ) में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार होंगी:-

क्षेत्र	दैनिक आधार पर मजदूरी दर + वी.डी.ए.				
	मूल मजदूरी		वी.डी.ए(रुपयों में).		कुल(रुपयों में)
क	693	+	418	=	1111
ख	637	+	387	=	1024
ग	579	+	354	=	933

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय के अनुसार वी.डी.ए. को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

विभिन्न वर्गों के तहत कर्मकारों का वर्गीकरण अधिसूचना संख्या एस. ओ. 191(ई) दिनांकित 19 जनवरी, 2017 के भाग-I में दिए अनुसार होगा, तथापि शहरों का वर्गीकरण दिनांक 19 जनवरी, 2017 को अधिसूचना के भाग-II में दिए अनुसार होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्र क, ख तथा ग के रूप में सुलभ संदर्भ हेतु अनुलग्नक-1 संलग्न है।

यह तत्काल अधिसूचना मजदूरी संहिता, 2019 (29 ऑफ 2019) की धारा 69 की उपधारा (2) के अनुसरण में जारी की जा रही है।

(श्याम सिंह नेगी)
महानिदेशक
श्रम ब्यूरो

फाइल संख्या: 6/1/2026-VDA

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम ब्यूरो

चंडीगढ़

दिनांक:30 सितम्बर,2026

आदेश

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 12 मई, 2026 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 2451(ई) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के दिनांक 30.06.2026 (सम्बद्ध आधार वर्ष 2016=100) को 424.80 से 431.42 पर पहुँचने और इसके परिणामस्वरूप इसमें 6.62 अंकों की बढ़त होने के आधार पर एतद्द्वारा दिनांक 01.10.2026 से औद्योगिक कर्मकारों के लिए परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरों में परिशोधन किया जाता है। दिनांक 01.10.2026 से परिशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें इस प्रकार होंगी।

(i) गुड्स शेड, रेलवे के पार्सल कार्यालय, (ii) अन्य गुड्स-शेड, गो-डाउन, गोदाम और अन्य समान रोजगार में लोडिंग और अनलोडिंग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए वी.डी.ए. की दरें; (iii) डॉक एवं पोर्ट्स और (iv) हवाई अड्डों (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों) पर यात्रियों और माल और कार्गो की ढुलाई में कार्यरत कर्मचारियों के लिए वी.डी.ए. की दरें।

क्षेत्र	प्रतिदिन वी.डी.ए की दरें (रुपयों में)
'क'	317
'ख'	267
'ग'	215

अतः, दिनांक 01.10.2026 से देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते को दर्शाती न्यूनतम मजदूरी की दरें निम्नानुसार होंगी:-

क्षेत्र	प्रतिदिन वी.डी.ए सहित मजदूरी की दरें				
	मूल मजदूरी (रुपये)		परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (रुपये)		कुल (रुपये)
'क'	523	+	317	=	840
'ख'	437	+	267	=	704
'ग'	350	+	215	=	565

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय अनुसार वी.डी.ए. को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

विभिन्न वर्गों के तहत कर्मकारों का वर्गीकरण अधिसूचना संख्या एस. ओ. 192(ई) दिनांकित 19 जनवरी, 2017 के भाग-I में दिए अनुसार होगा, तथापि शहरों का वर्गीकरण दिनांक 19 जनवरी, 2017 को अधिसूचना के भाग-II में दिए अनुसार होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्र क, ख तथा ग के रूप में सुलभ संदर्भ हेतु अनुलग्नक-1 संलग्न है।

यह तत्काल अधिसूचना मजदूरी संहिता, 2019 (29 ऑफ 2019) की धारा 69 की उपधारा (2) के अनुसरण में जारी की जा रही है।

(श्याम सिंह नेगी)
महानिदेशक
श्रम ब्यूरो

उपाबंध

क्षेत्रों का वर्गीकरण

क्षेत्र - "अ"

अहमदाबाद	(यूए)	हैदराबाद	(यूए)	फरीदाबाद काम्पलेक्स	(नगर निगम)
बंगलुरू	(यूए)	कानपुर	(यूए)	गाज़ियाबाद	(यूए)
दिल्ली	(यूए)	चेन्नई	(यूए)	नोएडा	
बृहत्त मुंबई	(यूए)	नागपुर	(यूए)	सिकंदराबाद	
कोलकाता	(यूए)	लखनऊ	(यूए)	गुडगाँव	(नगर निगम)
नवी मुंबई	(यूए)	पुणे	(यूए)		
क्षेत्र - "आ"					
आगरा	(यूए)	ग्वालियर 1 (यूए)		पोर्ट ब्लेयर	(यूए)
अजमेर	(यूए)	हुबली-धारवाड़	(नगर निगम)	पुडुचेरी	(यूए)
अलीगढ़	(यूए)	इंदौर	(यूए)	रायपुर	(यूए)
इलाहाबाद	(यूए)	जबलपुर	(यूए)	राउरकेला	(यूए)
अमरावती	(नगर निगम)	जयपुर	(नगर निगम)	राजकोट	(यूए)
अमृतसर	(यूए)	जालंधर	(यूए)	रांची	(यूए)
आसनसोल	(यूए)	जालंधर-छावनी	(यूए)	सहारनपुर	(नगर निगम)
औरंगाबाद	(यूए)	जम्मू	(यूए)	सेलम	(यूए)
बरेली	(यूए)	जामनगर	(यूए)	सांगली	(यूए)
बेलगांव	(यूए)	जमशेदपुर	(यूए)	शिलांग	
भावनगर	(यूए)	झांसी	(यूए)	सिलीगुड़ी	(यूए)
भिवंडी	(यूए)	जोधपुर	(यूए)	सोलापुर	(नगर निगम)
भोपाल	(यूए)	कन्नूर	(यूए)	श्रीनगर	(यूए)
भुवनेश्वर	(यूए)	कोच्चि	(यूए)	सूरत	(यूए)
बीकानेर	(नगर निगम)	कोल्हापुर	(यूए)	तिरुवंतपुरम्	(यूए)
बोकारो स्टील सिटी	(यूए)	कोल्लम	(यूए)	त्रिशूर	(यूए)
चंडीगढ़	(यूए)	कोटा	(नगर निगम)	तिरुचिरापल्ली	(यूए)
कोयम्बटूर	(यूए)	कोझिकोड	(यूए)	तिरुपुर	(यूए)
कटक	(यूए)	लुधियाना	(नगर निगम)	उज्जैन	(नगर निगम)
देहरादून	(यूए)	मदुरै	(यूए)	वडोदरा	(यूए)
धनबाद	(यूए)	मलप्पुरम	(यूए)	वाराणसी	(यूए)
दुर्गापुर	(यूए)	मालेगांव	(यूए)	वसई- विरार शहर	(नगर निगम)
दुर्ग-भिलाई नगर	(यूए)	मंगलौर	(यूए)	विजयवाड़ा	(यूए)
इरोड	(यूए)	मेरठ	(यूए)	विशाखापत्तनम	(नगर निगम)
फिरोजाबाद		मुरादाबाद	(नगर निगम)	वारंगल	(यूए)
गोवा		मैसूर	(यूए)		
गोरखपुर	(यूए)	नांदेड़ वाघाला	(नगर निगम)		
बृहत्त विशाखापत्तनम	(नगर निगम)	नासिक	(यूए)		
गुलबर्गा	(यूए)	नेल्लोर	(यूए)		
गुंटूर	(यूए)	पंचकुला	(यूए)		
गुवाहाटी	(यूए)	पटना	(यूए)		

टिप्पण 1 : क्षेत्र "इ" ऐसे सभी क्षेत्रों से मिलकर बनेगा, जो इस सूची में वर्णित नहीं है किंतु जिन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) लागू होता है ।

टिप्पण 2 : यूए से शहरी समूह अभिप्रेत है ।